कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी
(प्रशा0), देवरिया।

पत्रांक 220 /सा0प्र0/सूचना/2020 दिनांक : 23 जून, 2020

अधिसूचना

चूंकि केन्द्रीय मोटरवाहन अधिनियम 1988 (अधिनियम संख्या 59, 1988) की धारा 112 की उपधारा (2) में प्राविधानित है कि राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जनता की सुरक्षा, सुविधा या किसी सड़क अथवा पुल के खराब होने के कारण जनहित में मोटरयानों/विभिन्न श्रेणी के मोटरयानों की उक्त धारा की उपधारा (1) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा को उक्त कारणों से संतुष्ट होने पर प्रतिबंधित किया जा सकता है।

और जहां उक्त अधिनियम की धारा 112 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुसरण में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली–1998 के नियम 178 द्वारा जनपद के रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, को नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोडकर अन्य क्षेत्रों की अधिकारिता क्षेत्रों के भीतर यान की श्रेणी या श्रेणियों की उपधारा (1) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या 1377 दिनांक 06.04.2018 द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा को जनहित में उपर्युक्त प्राविधानों के दृष्टिगत संतुष्ट होने पर प्रतिबंधित करने का अधिकार प्रदत्त किया गया है।

अतः मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59, 1988) की धारा 112 की उपधारा (2) के साथ पठित उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 के नियम 178 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए देवरिया जनपद होकर निकलने/चलने वाले नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र छोडकर अन्य क्षेत्रों में मार्गो या मांगों के अंश पर संचालित हेतु श्रेणीवार वाहनों की अधिकतम गति सीमा निम्नलिखित तालिकानुसार निर्धारित की जाती है –

क्र0 सं0	मार्ग का नाम एवं संख्या	स्थान (कहां से कहां तक) जहां गति निबंधित रहेगी	यान की श्रेणी अनुसार निबंधित कर निर्धारित की गयी गति सीमा, कि0मी0/घण्टा			
			टू व्हीलर/थ्री व्हीलर	चालक सहित 7 सीटों तक वाले यान	चालक सहित 8 से 12 सीटों तक वाले यान	समस्त मालयान एवं स्तंभ 4,5 एवं 6 को छोड कर अन्य समस्त यात्री यान
1	2	3	4	5	6	7
1	लखनऊ–मोकामा (राष्ट्रीय राज्य मार्ग संख्या–NH-028)	हेतिमपुर से कसया दूरी 5 किमी0	40	60	60	50
2	सोनौली–गोरखपुर–देवरिया–बलिया (राज्य मार्ग सं0–01)	खरोह–भागलपुर वाया सलेमपुर	40	60	60	50
3	बड़हलगंज–कपरवारघाट–बरहज–लार–गुठनी (राज्य मार्ग सं0–72)	कपरवारघाट मेहरौना बार्डर वाया बरहज	40	60	60	50

4	देवरिया–कुशीनगर (राज्य मार्ग सं0–79)	देवरिया–कुशीनगर वाया रामपुर कारखाना	40	60	60	50
5	कपरवारघाट–रूद्रपुर, (अन्य जिला मार्ग)	कपरवारघाट–रूद्रपुर	40	60	60	50
6	देवरिया–हेतिमपुर (अन्य जिला मार्ग)	देवरिया–हेतिमपुर वाया महुआडीह	40	60	60	50
7	सोनूघाट–भलुअनी–बरहज (अन्य जिला मार्ग)	सोनूघाट – बरहज	40	60	60	50
8	सलेमपुर–भाटपार रानी–खामपार–भिंगारी बाजार (अन्य जिला मार्ग)	सलेमपुर–भिंगारी बाजार वाया मझौलीराज	40	60	60	50
9	मुसैला–मईल–भागलपुर (अन्य जिला मार्ग)	मुसैला–भागलपुर	40	60	60	50
10	हाटा–गौरी बाजार–रूद्रपुर (अन्य जिला मार्ग)	हाटा–रूद्रपुर	40	60	60	50
11	देवरिया–भीखमपुर (अन्य जिला मार्ग)	देवरिया–भीखमपुर	40	60	60	50
12	भरथुआ–भिंगारी बाजार (अन्य जिला मार्ग)	भरथुआ–भिंगारी बाजार वाया भटनी	40	60	60	50
13	देवरिया–रूद्रपुर (अन्य जिला मार्ग)	देवरिया – रूद्रपुर वाया उसरा बाजार	40	60	60	50
14	कंचनपुर–बघौचघाट (अन्य जिला मार्ग)	कंचनपुर–बघौचघाट वाया पथरदेवा	40	60	60	50
15	सोनूघाट–कंचनपुर (अन्य जिला मार्ग)	सोनूघाट–कंचनपुर	40	60	60	50
16	लार–चनुकी–भाटपार रानी (अन्य जिला मार्ग)	लार–भाटपार रानी	40	60	60	50
17	खुखुन्दू–नूनखार–भटनी (अन्य जिला मार्ग)	खुखुन्दू–भटनी	40	60	60	50
18	नवलपुर–लार (अन्य जिला मार्ग)	नवलपुर–लार	40	60	60	50
19	रूद्रपुर–पिड़राघाट (अन्य जिला मार्ग)	रूद्रपुर–पिड़राघाट	40	60	60	50

गति संबंधी उपरोक्त प्रतिबंध निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रभावी होगा –

(i) मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 116 में विनिर्दिष्ट साइन बोर्ड प्रतिबंधित स्थान के दोनो छोर–प्रारम्भिक एवं अन्तिम बिन्दु पर तथा मध्य में भी जगह–जगह पर आई0आर0सी0 कोड के मानक अनुसार संबंधित सड़क के स्वामित्व वाले विभाग द्वारा इस प्रकार लगाया जायेगा कि वाहन चालकों को इसकी जानकारी व ज्ञान हो सके तथा वे रात्रि में भी चमके, इसके लिए रेट्रो–रिफ्लेक्टिव टेप का प्रयोग किया जायेगा।

(ii) उक्त प्रतिबंध केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 में विनिर्दिष्ट निम्न प्रकार के वाहनों पर लागू नहीं होगा।

अ) अग्निशमन वाहन

ब) एम्बुलेंस।

स) पुलिस वाहन

द) कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने में लगे सैन्य बल तथा अर्ध सैन्य बल के लिए प्रयुक्त होने वाले वाहन।

य) प्राकृतिक आपदा के प्रबंधन के लिए प्रयुक्त वाहन।

(iii) उपरोक्त तालिका के कॉलम–3 में उल्लिखित स्थानों को छोड़कर जनपद के सभी मार्गो के अन्य क्षेत्रों (नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर) में केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 112 की उप धारा (1) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा जारी की गयी अधिसूचना संख्या 1377 दिनांक 06.04.2018, समय–समय पर यथा संशोधित, द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा यथावत लागू रहेगी।

आज्ञा से,

(राजीव)
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी
(प्रशासन), देवरिया

पृ0सं0– **स0सु0/2020 समदिनांकित –**

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. परिवहन आयुक्त, उ0प्र0।
2. अपर पुलिस महानिदेशक (यातायात), यातायात निदेशालय, उ0प्र0।
3. जिलाधिकारी, देवरिया।
4. पुलिस अधीक्षक, देवरिया।
5. निदेशक, छपाई एवं मुद्रण सामग्री, राजकीय प्रेस, ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि उक्त अधिसूचना को राज्य सरकार के प्रकाशित होने वाले सरकारी गजट में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
6. अपर परिवहन आयुक्त (स0सु0), उत्तर प्रदेश।
7. सम्भागीय परिवहन अधिकारी, गोरखपुर।
8. अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, देवरिया को इस अनुरोध के साथ कि उपरोक्त मार्गों पर आवश्यकतानुसार साइनेज तथा बोर्ड लगवाने का कष्ट करें।
9. सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (आई0टी0), कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश को वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
10. सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), देवरिया।
11. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (पूर्वी/पश्चिमी), लखनऊ, उ0प्र0।
12. जिला सूचना अधिकारी, देवरिया को इस अनुरोध के साथ कि उक्त अधिसूचना को जनपद के समस्त समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
13. ब्यूरो प्रमुख, दैनिक जागरण/हिन्दुस्तान/अमर उजाला को इस अनुरोध के साथ कि उक्त अधिसूचना को अपने सम्मानित समाचार पत्र के आगामी अंक में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी
(प्रशासन), देवरिया